समुख ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और अशोक कुमार वर्मा, जे. जे.

डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ अन्य प्रतिवादीओं का संघ 2020 का सी. डब्ल्यू. पी. No.20447

1 मार्च, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 309-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987-खंड 10 (जी) (एच) (आई) के साथ पठित खंड 23-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 की सेवाओं की शर्तें-खंड 2-65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवानिवृत्त होने/सेवानिवृत्त होने से रोकें और 70 वर्ष की आयु तक सेवा से विस्तार-आयोजित, याचिकाकर्ताओं की सेवाएं ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों, 2010/2019 द्वारा शासित होती हैं, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और विनियमों की आवश्यकताओं के अधीन 5 वर्ष के विस्तार का प्रावधान होगा-इसलिए, याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व/दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों/वास्तुकला विनियमों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों द्वारा शासित हैं, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और विनियमों की आवश्यकताओं के अधीन 5 वर्ष के विस्तार का प्रावधान होगा और इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों/वास्तुकला विनियमों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन/दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई अस्थिर है।(पैरा 47)

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता,

अर्जुन प्रताप आत्मा राम, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए।

अरुण गोसाई, वरिष्ठ स्थायी वकील,

उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 2 भारत संघ के लिए।रवि शर्मा, अधिवक्ता,

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

सुमन जैन, वरिष्ठ स्थायी वकील और 570

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

आदित्य पाल सिंगला, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 4 से 7 के लिए।

ऑगुस्टिन जॉर्ज मसीह, जे।

(1) यह रिट याचिका सरकारी महाविदयालय ऑफ आट्र्स और सरकारी महाविदयालय वास्तुकला, चंडीगढ़ में काम करने वाले सहायक प्रोफेसरों द्वारा दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन में प्रतिवादी को 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होने/सेवानिवृत्त होने से रोकने और उन्हें 70 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार के लिए विचार करने के लिए एक उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है।

(2) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987' के रूप में संदर्भित) के तहत बनाए गए विनियम अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और योग्यता (डिग्री) विनियम, 2010 (इसके बाद 'ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2010' के रूप में संदर्भित) (अनुलग्नक ए-10) और उसके बाद, तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वृद्ध की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और न्यूनतम योग्यता जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्मिक पर ए. आई. सी. टी. ई. विनियम और मुख्य उपायों के लिए।11) यह लागू होगा, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 की सेवा की शर्तों के बजाय 70 वर्ष तक के विस्तार के साथ 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं, जिसे 13.01.1992 (अनुलग्नक ए-3) (इसके बाद '1992 नियम'

के रूप में संदर्भित) पर अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।

(3) याचिकाकर्ता सं. 2-श के संबंध में भी यही स्थिति होगी। भीम सैन मल्होत्रा, जो सरकारी महाविदयालय वास्तुकला और उनकी सेवाओं में कार्यरत हैं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृद्ध की नियुक्ति के लिए यू. जी. सी. न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा विनियमों, 2010 (जिसे इसके बाद 'यू. जी. सी. विनियम, 2010' के रूप में संदर्भित किया गया है) और डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ और अन्य में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपायों द्वारा शासित होंगे।

वास्तुकला शिक्षा विनियम, 2017 के न्यूनतम मानक (जिसे इसके बाद 'वास्तुकला विनियम, 2017' के रूप में संदर्भित किया गया है), जिन्हें वास्तुकला परिषद द्वारा वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार घोषित किया गया है, जिसके अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु फिर से 65 वर्ष होगी और सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु तक पुनः रोजगार का प्रावधान होगा।

(4) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्ववान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी 1992 के नियमों को प्रभावी बनाकर याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से सेवा से सेवानिवृत्त कर रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.01.1992 (अनुलग्नक ए-3) के माध्यम से प्रभावी हुए थे।(5) उनका कहना है कि ये नियम यानी संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी 1992 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उपयुक्त विधानमंडल लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम पारित नहीं करता है।एक बार उपयुक्त विधानमंडल द्वारा प्रावधान किए जाने के बाद, उक्त प्रावधान/विनियम लागू रहेंगे और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम काम करना बंद कर देंगे।उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिसूचना दिनांक 1 द्वारा बनाए गए नियम ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2010 और उसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2019 (क्रमशः अनुलग्नक ए-10 और ए-11) के लागू होने के साथ काम करना बंद कर देंगे।इसी तरह, वह इस बात पर जोर देते हैं कि यू. जी. सी. विनियम, 2010 और वास्तुकला विनियम परिषद, 2017 के याचिकाकर्ता संख्या 2 के लागू होने के साथ, उपर्युक्त अधिसूचना लागू नहीं होगी। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु अब 65 वर्ष होगी और इन विनियमों के आलोक में 70 वर्ष तक विस्तार का प्रावधान होगा, न कि 58 वर्ष जो प्रतिवादी द्वारा सेवा में लगाया जा रहा है।इस प्रकार, प्रतिवादी की कार्रवाई टिकाऊ नहीं है।

(6) दूसरी ओर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद-प्रतिवादी संख्या 3 का रुख यह है कि उक्त प्रतिवादी समय-समय पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्तरों पर तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और योग्यताओं को निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी करता रहा है।यह भी कहा गया है

कि प्रावधान ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों तक विस्तारित किए जा सकते हैं।केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, जो मानव संसाधन विकास/शिक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा जारी अधिसूचना के दायरे से बाहर हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु वही होगी जो उपरोक्त 572 द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए निर्धारित की गई है।

मंत्रालय।(7) चंडीगढ़ प्रशासन और उसके कॉलेजों का रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं अधिसूचना दिनांक 13.01.1992 के तहत बनाए गए नियमों के दायरे में आती हैं।यह दावा किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जिसे प्रशासन के साथ काम करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा लागू करने की मांग की जा रही है, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों/केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों/केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है और इसलिए, चंडीगढ़ प्रशासन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

(8) दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नियम चंडीगढ़ प्रशासन के संबंधित पदों पर लागू होते हैं।चूँकि उनके अपने नियम हैं, जो सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु शामिल है, भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए बिना लागू नहीं होगी।

(9) पंजाब राज्य में, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग-I के नियम 3.26 के संदर्भ में कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, जिसे बाद में संशोधित किया गया था और अब दो साल के विस्तार का लाभ देकर आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के पक्ष में भी अनुमति दी गई थी।पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2008 के अनुसार कॉलेजों में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।इसलिए, याचिकाकर्ताओं सहित चंडीगढ़ प्रशासन के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उक्त अधिसूचना लागू नहीं होगी।चंडीगढ़ प्रशासन के तहत कॉलेज न तो "केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और न ही "केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, वे ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 या वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के दायरे में नहीं आएंगे।इस प्रकार, महाविद्यालयों के कर्मचारियों को उन विनियमों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया जा रहा है।यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले कॉलेज भारत सरकार द्वारा शासित नहीं हैं और इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और अपने निर्णय लेने में सक्षम है।याचिकाकर्ता, जो चंडीगढ़ प्रशासन के तकनीकी संस्थानों/कॉलेजों में काम कर रहे हैं, डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ और

पंजाब सिविल सेवा नियमों के साथ पठित 1992 के नियमों द्वारा शासित होगा और इसलिए, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु भी उक्त नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।

(10) पार्टियों के वकील ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है।याचिकाकर्ताओं के वकील ने राजेंद्र मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

पात्रा बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य 1, ए

गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय H.G.Modi और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

पार्श्वनाथ पूर्त न्यास और अन्य बनाम A.I.C.T.E. और अन्य 3 और फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अपने निदेशक बनाम A.I.C.T.E. 4 द्वारा से।

(11) चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन जैन ने जगदीश प्रसाद मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा जताया है।

शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 5 और भारतीय फार्मेसी परिषद बनाम डॉ. एस. के. तोशनीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट्स विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और अन्य 6।

(12) हमने पक्षकारों पार्टियों के वकील सुना है और उनकी सहायता द्वारा दलीलों का अध्ययन किया है।

(13) मूल मुद्दा, जो वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए आता है, वह यह है कि "क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत जारी की गई अधिसूचना (अनुलग्नक ए-3) यानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 (1992 के नियम) अभी भी उस क्षेत्र में लागू होगी जहां यह ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2010 और 2019 के प्रावधानों के साथ टकराव में है, जो ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 की खंड 10 (जी) (एच) (आई) के साथ पठित खंड 23 की उप-खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत घोषित किए गए हैं और याचिकाकर्ता संख्या 2, यू. जी. सी. विनियम, 2010 और वास्तुकला परिषद विनियम, 2017 के मामले में वास्तुकला के तहत बनाए गए हैं।"

1 2019 एल. आई. सी. 1841

2 2006 (10) एससीटी 159

3 2013 (3) एससीटी 163

4 2019 (3) एससीटी 307

5 2013 (8) एस. सी. सी. 633

6 2020 (5) स्केल 439 574

(14) दिनांक 1 (अनुलग्नक ए-3) की अधिसूचना, जो जारी की गई है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए 1992 के नियम हैं, जहां यह स्वीकार किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं और प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों यानी समूह ए, बी, सी और डी में नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी अन्य प्रावधानों के अधीन होंगे जैसे कि पंजाब सिविल सेवाओं में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें।वे उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो पंजाब सरकार में संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होते हैं।वेतनमान विषय के संबंध में भी यही स्थिति थी, हालांकि, वेतनमान के इस तरह के संशोधन के संबंध में प्रशासक की मंजूरी के संबंध में।पंजाब सिविल सेवा नियम और संबंधित पदों के वेतनमान को इन नियमों के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू किया गया था।

(15) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 (यानी '1992 नियम') की सेवा की शर्तों को अधिसूचित किया गया था और वे 01.04.1991 से लागू हुए थे।उक्त नियमों के नियम 2 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी अन्य प्रावधान के अधीन होंगी।ये पंजाब सिविल सेवाओं में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगे और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो बाद की श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होते हैं।कर्मचारियों को पंजाब सरकार के कर्मचारियों के पदों के अनुरूप वेतनमान

भी प्रदान किए गए थे।प्रशासक समय-समय पर उनके वेतनमान को संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था ताकि उन्हें पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान के बराबर लाया जा सके।(16) प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए और अस्वीकार नहीं किए गए तथ्य यह है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।चंडीगढ़ प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि 1992 के नियम अभी भी याचिकाकर्ताओं को चुनौती देते हैं, जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 और वास्तुकार अधिनियम, 1972 के तहत बनाए गए संबंधित विनियमों को लागू करने के लिए दबाव डालते हैं ताकि यह दावा किया जा सके कि ये विनियम डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ से लागू होंगे।

इन विनियमों के लागू होने की तारीख जिसके परिणामस्वरूप 1992 के नियम ऐसी तारीख से अप्रचलित हो गए।

(17) उपरोक्त मुद्दे को निपटाने के लिए, जैसा कि पक्षों द्वारा अपनी-अपनी प्रस्तुतियों में प्रस्तावित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 309 के दायरे, दायरे और संचालन को पहले और उसके बाद लागू होने या अन्यथा संबंधित विनियमों अर्थात नियमों का पता लगाने के लिए जाना होगा।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 इस प्रकार हैः-

"309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें।- इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम संघ या संघ के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकते हैं।

कोई भी राज्यःबशर्ते कि राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए जो संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे, और किसी राज्य के राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति के लिए जो वह राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे, ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, जब तक कि

उस ओर से प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत उपयुक्त विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत किया जाता है, और इस तरह बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

(18) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें सबसे पहले संविधान के अन्य प्रावधानों और उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियमों के अधीन हैं जो लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकते हैं।

(19) अनुच्छेद 309 का प्रावधान केवल एक अस्थायी या विराम-अंतराल व्यवस्था है जिसे सीमित अवधि के लिए सेवा में लगाया जाता है या क्षेत्र को आयोजित करने के लिए लाया जाता है, यानी जब तक कि भर्ती और व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को

विनियमित करने वाले उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान नहीं किया जाता है।अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा पूर्व में कब्जा किए गए क्षेत्र को शामिल करने वाले ऐसे अधिनियम के मामले में, उपयुक्त विधानमंडल का उक्त अधिनियम इसके प्रवर्तन की तारीख और नियम 576 से प्रभावी होगा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक प्रावधानों को जहां भी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों/नियमों के साथ असंगत पाया जाएगा, उन्हें रास्ता देना होगा।यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का जीवन सीमित है और अधिनियम और/या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के लागू होने तक कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है।

(20) दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 309 एक संक्रमणकालीन और सक्षम प्रावधान है जो कार्यपालिका को सीमित जीवन अवधि वाले सिविल सेवकों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जब तक कि उपयुक्त विधानमंडल इस विषय पर कानून नहीं बनाता है।यह अनुच्छेद की भाषा से स्पष्ट है जहां सेवाओं को विनियमित करने के लिए प्रावधान करने की शक्ति विधानमंडल पर छोड़ दी गई है।इस प्रकार इस अनुच्छेद का प्रावधान, उपयुक्त विधान लागू होने तक रिक्तता को भरने के लिए काम

करता है।एक बार उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम, जो अनुच्छेद 309 से संबंधित है, लागू हो जाने के बाद, इस अनुच्छेद के परंतुक के तहत बनाए गए नियम अनिवार्य रूप से लागू होंगे और जारी रहेंगे।नियम बनाने के लिए परंतुक से जो शक्ति का स्रोत आता है, वह अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के दायरे और दायरे को कवर करने वाले उपयुक्त कानून के लागू होने के साथ ही सूख जाता है। यहां यह इंगित करने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है यदि विधानमंडल पहले ही इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाला कानून बना चुका है।यदि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई टकराव है, तो विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा।

(21) केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, नियम बनाने की शक्ति, निस्संदेह, राष्ट्रपति के पास है।इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले में, अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है।1992 के नियम बनाते समय राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया है।अनुच्छेद 309 के तहत यह शक्ति और उसके प्रावधान के तहत बनाए गए नियम कानून के बल के साथ तब तक काम करेंगे जब तक कि संसद इस विषय पर कानून बनाने का विकल्प नहीं चुनती।एक बार जब संसद कानून बनाती है, तो ऐसा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम/विनियम उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम तुरंत काम करने लगेंगे।

(22) भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय से संबंधित है।ये सूचियाँ संविधान की अनुसूची-VII में निहित हैं।सूची-I की प्रविष्टि 66 अर्थात संघ सूची वर्तमान डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ और संघ के लिए प्रासंगिक होगी।

577

अन्य (ए. जी. मसीह, जे.)

मामला, जो इस प्रकार हैः- "प्रविष्टि 66.उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।"

(23) संविधान की सूची-I की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में, भारत संघ ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (जिसे इसके बाद ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) को लागू और अधिसूचित किया है।ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैंः-

2. परिभाषाएँ।-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

-

(ए) से (ई)

XXX

(च) "विनियम" से इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं। (छ) "तकनीकी शिक्षा" से इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर योजना, प्रबंधन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प और ऐसे अन्य कार्यक्रम या क्षेत्रों में शिक्षा,

अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत हैं जो केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

2(ज) "तकनीकी संस्थान" से ऐसा संस्थान अभिप्रेत है, जो विश्वविद्वयालय नहीं है, जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करता है, और इसमें ऐसे अन्य संस्थान शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तकनीकी संस्थान घोषित करे।

((i)

XXX

10. परिषद के कार्यः

(1) तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो वह उचित समझे।

(i) पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाओं, कर्मचारियों का स्वरूप, कर्मचारियों की योग्यता, गुणवत्ता निर्देश, 578 के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना।

मूल्यांकन और परीक्षाएँ;

(जे) XXX

(के) नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान करें;

(एल) से (ओ) XXX

(पी) किसी भी तकनीकी संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण कराना; (क्यू) से (वी) XXX

23. विनियम बनाने की शक्ति -

(1) परिषद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों और आम तौर पर इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों के साथ असंगत विनियम बना सकती है।

(2) XXX "(जोर लागू किया गया)

(24) उपरोक्त खंड 23 परिषद को विनियम जारी करने की शक्ति देती है।इस शक्ति का उपयोग करते हुए, एआईसीटीई विनियम, 2010 को शुरू में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 22.01.2010 (अनुलग्नक ए-10) पर अधिसूचित किया गया था।अधिवर्षिता की आयु, जो उसमें प्रदान की गई थी, 65 वर्ष थी, जिसमें अनुबंध नियुक्ति पर 65 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु तक पुनः नियोजन का प्रावधान था।

(25) इसके बाद, ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2019 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 (अनुलग्नक ए-11) के माध्यम से जारी किए गए।

(26) इन ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों, 2019 का विनियम 2.12 सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित है, जिसके अनुसार, सभी संकाय सदस्यों और संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसमें कुछ अन्य सवारियों के साथ 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 5 वर्ष के विस्तार का प्रावधान था।इससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी।

(27) जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2 का संबंध है, जिन्होंने डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ की खंड 26 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के ललित कला में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए यू. जी. सी. की न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा विनियम, 2010 में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपायों के लिए विनियम जारी किए, जिसके अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष थी और अनुबंध के

आधार पर 70 वर्ष की आयु तक पुनः रोजगार के विकल्प के साथ।(28) इसी तरह, वास्तुकार अधिनियम, 1972 के तहत, उक्त अधिनियम की खंड 45 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वास्तुकला परिषद ने वास्तुकला शिक्षा विनियम, 2017 के न्यूनतम मानकों को लागू किया था।

इसका विनियम 2.9 इस प्रकार हैः-

" 2.9 प्रोफेसर (डिजाइन चेयर) सहित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति सहित सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।स्वीकृत रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी और संकाय 70 वर्ष की आयु तक सेवा करना जारी रख सकता है लेकिन प्रशासनिक पद पर नहीं रहेगा।"

(29) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि इन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु भी 65 वर्ष है जिसे 70 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(30) इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ए. आई. सी. टी. ई., यू. जी. सी. और वास्तुकला परिषद द्वारा जारी नियम इन अधिनियमों के तहत आने वाले कॉलेजों और संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पार्श्वनाथ पूर्त न्यास बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 2013 (2) एस. सी. टी. 163 और फाउंडेशन फॉर ओ. आर. ई. फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बनाम ए. आई. सी. टी. ई., 2019 (3) एस. सी. टी. 307 के मामले में कहा है।इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत जारी किए गए विनियम, जो केंद्रीय अधिनियम के

तहत लागू हुए हैं, उन कॉलेजों/संस्थानों के लिए लागू होंगे जो उक्त विनियमों के भीतर आते हैं और इसलिए अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को किसी भी संघर्ष के मामले में विनियमों को रास्ता देना होगा।

(31) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पैरा 8 में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह होगा कि 1992 के नियमों के साथ टकराव के मामले में ए. आई. सी. टी. ई. विनियम 2010/2019 और वास्तुकला विनियम 2017 लागू होंगे।

(32) अब सवाल यह होगा कि "क्या वे कॉलेज, जिनमें याचिकाकर्ता सेवा कर रहे हैं/सेवा कर रहे हैं, उपरोक्त अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं या नहीं?"

(33) जहां तक ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 की परिभाषाओं का संबंध है, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि खंड 2 (जी) 'तकनीकी शिक्षा' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में 'वास्तुकला' के साथ-साथ 'अनुप्रयुक्त कला और शिल्प' शामिल हैं।खंड 2 (एच) 'तकनीकी संस्थान' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है एक ऐसा संस्थान जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करता है लेकिन विश्वविद्यालय नहीं है।

(34) इस पहलू से कोई इनकार नहीं है कि दो कॉलेज, जहां याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं/कर रहे थे, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं और 'अनुप्रयुक्त कला और शिल्प' और 'वास्तुकला' के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इसलिए, 'तकनीकी संस्थान' की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।

(35) यदि ऐसा है, तो एआईसीटीई विनियम याचिकाकर्ता संख्या 1,3 से 5 और वास्तुकला विनियम, 2017 याचिकाकर्ता संख्या 2 इन कॉलेजों के संकाय सदस्यों पर लागू होंगे।इन विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी, जिसमें विनियमों की आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष के विस्तार का प्रावधान होगा।

(36) प्रतिवादी का रुख मुख्य रूप से यह है कि ये नियम लागू नहीं होते हैं जो बिना किसी आधार के प्रतीत होते हैं।प्रतिवादी ने यह दावा करने की कोशिश की है कि जो कॉलेज चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, वे केंद्र सरकार के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के दायरे में नहीं आते हैं।यह भी कहा गया है कि इन कॉलेजों को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है, बल्कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

(37) हालाँकि, चंडीगढ़ प्रशासन के वकील द्वारा इस पहलू पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सभी धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।एक बार केंद्र सरकार द्वारा धन प्रदान किए जाने के बाद, केवल इसलिए कि उन्हें वितरित किया जा रहा था और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कॉलेजों को चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था, इसे केंद्र

द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के दायरे से बाहर नहीं लाएगा और किसी भी मामले में, यह एआईसीटीई और/या वास्तुकला विनियमों की प्रयोज्यता के लिए प्रति आवश्यकता नहीं होगी।

(38) प्रतिवादी ने सेवा में जोर दिया है और उच्च और डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ में केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए अति-सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने के पहलू पर प्रकाश डाला है।

अन्य (ए. जी. मसीह, जे.)

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.03.2007 (अनुलग्नक ए-5) के आधार पर, जो ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2010 और फिर ए. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2019 (क्रमशः अनुलग्नक ए-10 और ए-11) और वास्तुकला विनियम, 2017 के लागू होने के साथ काम करना बंद कर देगा, जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों पर इन विनियमों के लागू होने के योग्य नहीं हैं।

(39) इसके अलावा, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग ने डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेजों और वास्तुकला, नगर योजना, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प संस्थानों आदि सहित अन्य डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों के वेतन में संशोधन के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए, दिनांक 07.10.2009 (अनुलग्नक A-6) के बाद एक पत्र दिनांक 12.10.2009 (अनुलग्नक

A-7), जो उच्च और तकनीकी शिक्षा में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने से संबंधित था।7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बाद वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प संस्थानों आदि सहित डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों के वेतन में संशोधन के संबंध में उक्त पत्र को चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वीकार कर लिया था, हालांकि, इस शर्त के साथ कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के रूप में जारी रहेगी।

(40) यहाँ यह बताना अनुचित नहीं होगा कि 09.07.2018 (अनुलग्नक ए-15) पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी अनुभाग-II/टी. सी. द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन (गृह विभाग), चंडीगढ़ को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें पैरा संख्या 3 में कहा गया थाः-

“3. आई. डी. 1 पर जारी गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना उस समय पंजाब राज्य सरकार की सेवा शर्तों और वेतनमानों का पालन करने के लिए एक विराम अंतराल व्यवस्था थी।ए. आई. सी. टी. ई. मानदंडों का अब देश में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पालन किया जा रहा है।इसलिए, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के सभी तकनीकी संस्थानों द्वारा सेवा शर्तों और वेतनमान के लिए ए. आई. सी. टी. ई. मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। हालाँकि, 582 के प्रस्ताव के रूप में

लाइब्रेरियन के पदों के उन्नयन का वित्तीय प्रभाव गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन गृह मंत्रालय की सहमति से इस मामले पर अंतिम निर्णय ले सकता है।"

(41) ए. आई. सी. टी. ई. के दायरे में आने वाले वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प संस्थानों आदि सहित डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के वेतन में संशोधन से संबंधित 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया।यह स्पष्ट रूप द्वारा दर्शाता है कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग पूरे समय ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों अर्थात 1992 के नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में सही कानूनी स्थिति को स्वीकार और जोर दे रहा था।

(42) यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने उन विनियमों को लागू किया है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छोड़कर लागू होने के संबंधित क्षेत्रों से संबंधित अधिनियमों के पारित होने के बाद बनाए गए हैं।चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा लिया गया रुख अस्थिर है और कानून के अनुसार नहीं है

(43) प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे हाथ में लिए गए मामले पर लागू नहीं होंगे क्योंकि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामलों के प्रासंगिक और लागू तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में दिए गए थे।(44)

जगदीश प्रसाद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों के आलोक में यह निर्णय दिया कि किसी विशेष राज्य के भीतर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का अंतिम निर्णय उसी राज्य का होगा क्योंकि यू. जी. सी. की योजना को अपने समग्र रूप में आयोग द्वारा विवेकाधीन बनाया गया था और राज्यों पर उक्त योजना को प्रतिग्रहण करना करने या अपनाने की कोई बाध्यता नहीं थी जो वर्तमान मामले में स्थिति नहीं है।(45) भारतीय फार्मेसी परिषद के मामले (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि फार्मेसी अधिनियम अपने आप में फार्मेसी के विषय में एक पूर्ण संहिता है और फार्मेसी के पेशे और अभ्यास के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए फार्मेसी परिषदों का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

चूँकि फार्मेसी का विषय डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह और अन्य बनाम भारत का संघ है और

विशेष विषय और सामान्य विषय नहीं, एआईसीटीई अधिनियम लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह तकनीकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा पर लागू एक सामान्य कानून है। अतः उक्त निर्णय हाथ में लिए गए मामले पर लागू नहीं होगा।

(46) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा ओ. ए. सं. <आई. डी. 2 में पारित दिनांक 29.09.2020/27.10.2020 (अनुलग्नक पी-8) के विवादित आदेश में, विद्वान न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों की प्रयोज्यता, प्रभाव और संचालन के दायरे को ध्यान में रखने में विफल रहा है।इसने

यह अभिनिर्धारित किया है कि 1992 के नियम प्रबल होंगे क्योंकि अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा अपनाया नहीं गया है। न्यायाधिकरण ने 1992 के नियमों जैसे विनियमों की प्रयोज्यता के संबंध में एक गलत धारणा पर आगे बढ़ना शुरू किया है।इस प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

(47) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों द्वारा शासित होती हैं, जिसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और विनियमों की आवश्यकताओं के अधीन 5 वर्ष के विस्तार का प्रावधान होगा।और इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों/वास्तुकला विनियमों के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन/दावे को अस्वीकार करने में प्रतिवादी की कार्रवाई अस्थिर है।(48) जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 की सेवा की शर्तें, दिनांक 13.01.1992 (अनुलग्नक ए-3) द्वारा जारी अधिसूचना याचिकाकर्ताओं पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वे वास्तुकला विनियम, 2017 के याचिकाकर्ता संख्या 2 और ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों के साथ असंगत हैं क्योंकि वे क्रमशः उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से काम करना बंद कर देते हैं। केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992 की सेवा की शर्तों को लागू करके याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु यानी 58 वर्ष के विस्तार के साथ सेवानिवृत्त करने

वाले प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की कार्रवाई, जैसा कि 13.01.1992 (अनुलग्नक ए-3) पर अधिसूचित किया गया है, अवैध है और इस प्रकार इसे अलग कर दिया गया है।

(49) रिट याचिका को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.09.2020/27.10.2020 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश को दरकिनार करके अनुमति दी गई है।

(50) प्रतिवादी को 584 वापस लेने का निर्देश जारी किया गया है।

याचिकाकर्ता जिन्हें 1992 के नियमों को लागू करके उनके द्वारा जबरन सेवानिवृत्त किया गया है।वे सभी परिणामी लाभों के भी हकदार होंगे।आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभ जारी किए जाएं।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उघेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

हस्ताक्षर:- 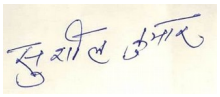

अनुवादक:- सुशील कुमार